



म.प्र.राज्य निर्वाचन आयोग

कार्यालय कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ग्वालियर (म०प्र०)

(स्थानीय निर्वाचन)

दूरभाष एवं फ़ैक्स 0751-2446220, E-mail-deogwaliorie@gmail.com

क्रमांक क्यू./स्था.निर्वा०/11-24/56/2017-18 / 457 ग्वालियर, दिनांक 05-07-2017

स्थानीय निर्वाचन कार्यालय - डाटा एन्ट्री ऑपरेटर (संविदा) की -::पदपूर्ति हेतु विज्ञप्ति ::-

पद का विवरण	आरक्षण	शैक्षणिक एवं अन्य अर्हता	आयु सीमा	आवेदन प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि
1	2	3	4	5
डाटा एन्ट्री ऑपरेटर (संविदा) 01 पद , रुपयें 10260 प्रतिमाह	अनारक्षित	(1) राज्य शासन द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से हायर सैकेण्डरी या 10+2 परीक्षा उत्तीर्ण (2) मेप आई०टी० द्वारा आयोजित कम्प्यूटर दक्षता प्रमाणीकरण CPCT परीक्षा उत्तीर्ण (3) मध्यप्रदेश का मूलनिवासी	दिनांक 01-01-2017 को न्यूनतम 21 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष । महिला , अनुसूचित जाति , अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए अधिकतम आयुसीमा 45 वर्ष	05 अगस्त 2017 शनिवार सायंकाल 05:30 बजे तक

- (1) डाटा एन्ट्री ऑपरेटर (संविदा) की नियुक्ति दिनांक 28-02-2018 तक के लिए की जायेगी। संविदा अवधि आवश्यकता अनुसार बढ़ाई जा सकेगी ।
- (2) आवेदक निर्धारित प्ररूप में आवेदन पत्र अंतिम तारीख तक जिलें के कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन) को स्पीडपोस्ट अथवा व्यक्तिशः भेज सकते हैं । विस्तृत जानकारी और शर्तें तथा आवेदन पत्र का प्ररूप मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग की वेबसाईट www.mplocalelection.gov.in से एवं कार्यालय कलेक्टर जिला ग्वालियर की वेबसाईट www.gwalior.nic.in से डाऊनलोड किया जा सकता है ।
- (3) शैक्षणिक योग्यता , मूल निवास , आरक्षण और आयु की शर्तें पूरी करने वाले आवेदक का चयन CPCT परीक्षा में कम्प्यूटर प्रोफिशियेन्सी में प्राप्त अंकों के आधार पर मेरिट से किया जायेगा। CPCT परीक्षा में अंग्रेजी और हिन्दी टाईपिंग में वर्तलिफाई करना आवश्यक है , यदपि टाईपिंग का स्कोर मेरिट में नहीं जोड़ा जायेगा।

(राहुल जैन)
कलेक्टर

एवं जिला निर्वाचन अधिकारी
जिला ग्वालियर (म०प्र०)

मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग
निर्वाचन भवन
58, अरेरा हिल्स, भोपाल (म0प्र0)-462011

—0—

क्रमांक: एफ 08-02/2015/एक/ 1219

भोपाल दिनांक 28 जून, 2017

प्रति,

कलेक्टर एवं
जिला निर्वाचन अधिकारी
(स्थानीय निर्वाचन)
जिला-समस्त (मध्य-प्रदेश)

विषय:-आयोग के जिला स्तरीय कार्यालयों (स्थानीय निर्वाचन) के लिए अस्थायी तौर पर सृजित डाटा एण्ट्री ऑपरेटर (संविदा) की पूर्ति किये जाने बाबत ।

संदर्भ:-सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश क्रमांक एफ 19-72/2016/1/4, दिनांक 17/02/2017

मध्य प्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश क्रमांक एफ 19-72/2016/1/4, दिनांक 17/02/2017 द्वारा आयोग के जिला स्तरीय कार्यालयों (स्थानीय निर्वाचन) के लिए जिलाध्यक्ष कार्यालय के अंतर्गत समस्त जिलों के लिए डाटा एण्ट्री ऑपरेटर (संविदा) के 51 पद दिनांक 01/03/2017 से 28/02/2018 तक की अवधि के लिए अस्थायी तौर पर सृजित किया गया है ।
(छायाप्रति संलग्न-परिशिष्ट-01)

डाटा एण्ट्री ऑपरेटर (संविदा) के पद की पूर्ति जिला स्तर पर किये जाने हेतु निम्नानुसार मापदण्ड एवं प्रक्रिया निर्धारित की जाती है :-

आरक्षण

मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) नियम 1998 के तहत जिलेवार आरक्षण की जानकारी परिशिष्ट-2 पर संलग्न है ।

जिला स्तर पर डाटा एण्ट्री ऑपरेटर (संविदा) के पद की पूर्ति हेतु प्रक्रिया

- 2.1 जिला स्तर पर डाटा एण्ट्री ऑपरेटर (संविदा) के पद की पूर्ति हेतु एक न्यूनतम 03 सदस्यीय समिति का गठन किया जाकर समिति की अनुशंसा के आधार पर कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन) द्वारा नियुक्ति की जायेगी। चयन समिति में कम से कम एक सदस्य अनुसूचित जनजाति अथवा अनुसूचित जाति संवर्ग का होगा। मेरिट के आधार पर 03 अभ्यर्थियों की प्रतीक्षा सूची भी बनाई जाये।

- 2.2 उक्त पद का सृजन अस्थायी रूप से दिनांक 01.03.2017 से दिनांक 28.02.2018 तक की अवधि के लिए किया गया है। नियुक्त किए जाने वाले कर्मी को संविदा के आधार पर अस्थायी रूप से नियुक्त किया जाए। यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी होगी एवं किसी भी प्रयोजन हेतु इसे शासकीय सेवा मान्य नहीं किया जाएगा। नियुक्त किए जाने वाले कर्मी को एक मुश्त मासिक संविदा पारिश्रमिक रूपये 10,260/- (रूपये दस हजार दो सौ साठ मात्र) पर नियुक्त किया जाए। उक्त पद पूर्णतः अस्थायी है तथा नियुक्ति केवल दिनांक 28.02.2018 तक की कालावधि के लिए रहेंगी। इस अवधि के पश्चात् शासन से पदों की निरंतरता प्राप्त होने पर कार्य मूल्यांकन के आधार पर उपयुक्त होने की दशा में एक वर्ष की वृद्धि की जा सकेगी। उक्त पद के वेतन भुगतान की राशि उक्तानुसार आयोग के नियमित बजट से जिलों को दी जाएगी। उपरोक्त पद पर होने वाला व्यय मांग संख्या-01-मुख्यशीर्ष-2015, स्कीम कोड-6262 मद 11 वेतन भत्ते विस्तृत शीर्ष-025 संविदा कर्मियों का पारिश्रमिक में विकलनीय होगा।
- 2.3 कलेक्टर द्वारा जिलों में प्रचलित कम से कम 02 समाचार पत्रों में विज्ञप्ति जारी की जाये। विज्ञप्ति का प्ररूप परिशिष्ट-3 संलग्न है।
- 2.4 आवेदन पत्र निर्धारित प्ररूप परिशिष्ट-4 में प्राप्त किये जायेंगे। आवेदन पत्र का प्ररूप मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग की वेबसाईट www.mplocalelection.gov.in से डाऊनलोड किया जा सकता है। कलेक्टर जिले की वेबसाईट पर भी आवेदन पत्र उपलब्ध कराने की व्यवस्था करेंगे।
- 2.5 आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि को सायं 05:30 बजे तक डाक और व्यक्तिशः जमा कराये गये आवेदन पत्रों को विचारण में लिया जायेगा। व्यक्तिशः आवेदन पत्र जमा कराने वाले अभ्यर्थियों को पावती प्रदान की जायेगी।
- 2.6 अंतिम तिथि तक प्राप्त होने वाले सभी आवेदन पत्रों का परीक्षण कर चयन समिति द्वारा निर्धारित प्ररूप परिशिष्ट-5 में एक अंतरिम मेरिट सूची बनाई जायेगी। अंतरिम मेरिट सूची में अपात्रता का कारण स्पष्ट दर्शाया जायेगा। अंतरिम मेरिट सूची कलेक्टर कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चरपा की जायेगी। सम्बंधित आवेदकों को अंतरिम मेरिट सूची में दर्ज विवरण पर आपत्ति अथवा अभ्यावेदन प्रस्तुत करने के लिए न्यूनतम 07 दिवस का समय दिया जायेगा। आवेदकों द्वारा प्रस्तुत की गई आपत्ति/अभ्यावेदन का रिकार्ड रखा जायेगा और उन्हें पावती भी दी जायेगी।
- 2.7 चयन समिति द्वारा अंतरिम मेरिट सूची पर प्राप्त आपत्तियों का यथोचित निराकरण कर अंतिम मेरिट सूची तैयार की जायेगी। अंतिम मेरिट सूची में सबसे पहले पात्र आवेदकों के नाम दर्ज होंगे और उसके पश्चात अपात्र आवेदकों के नाम भी दर्ज किये जायें।
- 2.8 अंतिम मेरिट सूची के प्रथम 05 आवेदकों को योग्यता सम्बंधी दस्तावेजों के वेरिफिकेशन हेतु आहूत किया जायेगा। दस्तावेजों के वेरिफिकेशन हेतु आवेदक को आहूत किये जाने की सूचना स्पीडपोस्ट, ईमेल और दूरभाष पर दी जायेगी और तामीली का रिकार्ड रखा जायेगा। चयन समिति द्वारा दस्तावेजों का वेरिफिकेशन

कर नियुक्ति हेतु अनुशंसा प्रस्तुत की जायेगी। जिन आवेदकों के दस्तावेज वेरिफाईड नहीं हों सकेंगे, उनका नाम मेरिट सूची में कारण दर्शाते हुए अपात्र श्रेणी में अंकित किया जायेगा।

- 2.9 चयन समिति की अनुशंसा अनुसार कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा डाटा एन्ट्री ऑपरेटर के पद पर नियुक्ति आदेश जारी किया जायेगा। नियुक्ति आदेश का प्ररूप **परिशिष्ट-6** संलग्न है।
- 2.10 कार्यभार ग्रहण करने हेतु आवेदक को अधिकतम 10 दिवस का समय दिया जायेगा। कार्यभार ग्रहण करने पर आवेदक से नियम प्ररूप में अनुबंध पत्र निष्पादित कराया जायेगा। अनुबंध पत्र का प्ररूप **परिशिष्ट-7** संलग्न है। नियत समयावधि में कार्यभार ग्रहण नहीं करने पर प्रतीक्षा सूची से नियुक्ति आदेश जारी किया जाये।

मेरिट के लिए आवश्यक अर्हता

- 3.1 डाटा एन्ट्री ऑपरेटर के पद के लिए राज्य शासन द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था से हायर सेकण्डरी या 10+2 परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य है।
- 3.2 आवेदक मध्यप्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए।
- 3.3 आवेदक की आयु दिनांक 01.03.2017 को 21 वर्ष से कम और 40 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। महिला, अनूसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के आवेदकों के लिए अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष होगी।
- 3.4 सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक सी 3-15/2014/1/3, दिनांक 26.02.2015 की कंडिका 03(vi) के अनुसार जिन विभागों में संविदा आधार पर पद स्वीकृत होने के कारण भर्ती नियमों में उनकी योग्यता का प्रावधान नहीं है, उन पदों के लिए कम्प्यूटर दक्षता प्रमाणीकरण परीक्षा (CPCT) परीक्षा के माध्यम से स्कोर कार्ड धारित करना पर्याप्त होगा। ऐसे पदों के लिए CPCT स्कोर कार्ड के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार की कम्प्यूटर/आई.टी. से सम्बंधित डिप्लोमा/सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं होगी। चूंकि आयोग के लिए डाटा एन्ट्री ऑपरेटर के पद संविदा आधार पर स्वीकृत किये गये हैं और भर्ती नियमों में योग्यता का प्रावधान नहीं है। अतः उक्त डाटा एन्ट्री ऑपरेटर की नियुक्ति भी उक्त परिपत्र दिनांक 26.02.2015 में उल्लेखित CPCT परीक्षा के स्कोर कार्ड के आधार पर की जानी चाहिए। मध्यप्रदेश शासन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, मंत्रालय के परिपत्र क्रमांक एफ 14-16/2012/56 भोपाल, दिनांक 02.06.2016 के अनुसार CPCT परीक्षा के स्कोर कार्ड की वैधता अवधि परीक्षा तिथि से 02 वर्ष निर्धारित की गई है। अतः वैध स्कोर कार्ड को ही विचारण में लिया जाये।
- 3.5 CPCT परीक्षा के स्कोर कार्ड में दो सेक्शन होते हैं। प्रथम सेक्शन कम्प्यूटर प्रोफिशियेन्सी का और दूसरा सेक्शन नेट टाईपिंग स्पीड का होता है। नेट टाईपिंग स्पीड में अंग्रेजी और हिन्दी दोनों टाईपिंग की स्पीड के आधार पर स्कोर निर्धारित होता है। नेट टाईपिंग स्पीड के लिए हिन्दी और अंग्रेजी दोनों में डाटा एन्ट्री

ऑपरेटर के लिए क्वालिफाईड होना आवश्यक होगा। हिन्दी और अंग्रेजी नेट टाईपिंग स्पीड में क्वालिफाईड होने की स्थिति में मेरिट का निर्धारण कम्प्यूटर प्रोफिशियन्सी में प्राप्त अंकों के आधार पर किया जाये, अर्थात् मेरिट के निर्धारण में अंग्रेजी और हिन्दी के नेट टाईपिंग का स्कोर शामिल नहीं किया जायेगा, लेकिन मेरिट के निर्धारण में केवल उन्हीं अभ्यर्थियों को शामिल किया जायेगा, जिन्होंने हिन्दी और अंग्रेजी नेट टाईपिंग में क्वालिफाई किया हो। यदि 02 या अधिक आवेदकों के कम्प्यूटर प्रोफिशियन्सी में समान अंक होंगे तो अंग्रेजी टाईपिंग के अंकों के आधार पर मेरिट का निर्धारण होगा। अंग्रेजी टाईपिंग के भी अंक समान होने पर हिन्दी टाईपिंग के अंकों में को मेरिट में लिया जायेगा और यदि हिन्दी टाईपिंग के अंक भी समान होंगे तो हायर सेकण्डरी/10+2 के अंकों के आधार पर मेरिट का निर्धारण किया जायेगा।

डाटा एन्ट्री ऑपरेटर की पदपूर्ति के लिए निम्नानुसार समयसीमा निर्धारित की जाती है :-

क्रमांक	कार्य	उत्तरदायित्व	अंतिम समयसीमा
1.	चयन समिति का गठन	कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी	10 जुलाई 2017 (सोमवार)
2.	समाचार पत्रों में विज्ञप्ति जारी करना	कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी	14 जुलाई 2017 (शुक्रवार)
3.	आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि	कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी	05 अगस्त 2017 (शनिवार)
4.	आवेदन पत्रों का परीक्षण कर अंतरिम मेरिट सूची तैयार करना	चयन समिति	16 अगस्त 2017 (बुधवार)
5.	अंतरिम मेरिट सूची का प्रकाशन कर आपत्तियाँ प्राप्त करना	कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी	26 अगस्त 2017 (शनिवार)
6.	अंतरिम मेरिट सूची पर प्राप्त आपत्तियों का निराकरण कर अंतिम मेरिट सूची तैयार करना	चयन समिति	31 अगस्त 2017 (गुरुवार)
7.	अंतिम मेरिट सूची के प्रथम 05 अभ्यर्थियों को आवश्यक दस्तावेजों का वेरिफिकेशन हेतु आहूत करना	कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी	12 सितम्बर 2017 (मंगलवार)
8.	दस्तावेजों का वेरिफिकेशन कर नियुक्ति हेतु अनुशंसा करना	चयन समिति	15 सितम्बर 2017 (शुक्रवार)
9.	चयनित आवेदक को नियुक्ति पत्र जारी करना	कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी	19 सितम्बर 2017 (मंगलवार)

कृपया समय सीमा में नियुक्ति की कार्यवाही पूर्ण कर अवगत कराये ।

(सुनीता त्रिपाठी)

सचिव

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

पृ. क्रमांक: एफ 08-02/2015/एक/
प्रतिलिपि:-

भोपाल दिनांक जून, 2017

1. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन भोपाल को उनके पत्र क्रं. एफ 19-72/2016/1/4, दिनांक 17/02/2017 के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित।
2. समस्त, संभागीय आयुक्त, मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ।
3. आहरण एवं संवितरण अधिकारी/लेखाधिकारी(बजट) मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल।
4. आई.टी.प्रभारी, मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल।
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

उप सचिव
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, भोपाल
वल्लभ भवन, भोपाल-462004

आदेशः

भोपाल, दिनांक 17 फरवरी, 2017

कमांक एफ 19-72/2016/1/4, राज्य शासन द्वारा राज्य निर्वाचन आयोग के जिला स्तरीय कार्यालयों(स्थानीय निर्वाचन) के लिए जिलाध्यक्ष कार्यालय के अंतर्गत शेष 28 जिलों के लिए सहायक अधीक्षक के 28 पद एवं समस्त 51 जिलों के लिए डाटा एन्ट्री ऑपरेटर (नविदा) के 51 पद इस प्रकार कुल 79 पदों का दिनांक 01.03.2017 से दिनांक 28.02.2018 तक की अवधि के लिए अस्थायी तौर पर सृजन किया जाता है।

2/ यह स्वीकृति वित्त विभाग के यूओओ कमांक 1214/सीआर/1429/ब-8/4/16 दिनांक 14.12.2016 द्वारा प्रदान की गई है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(संजय कुमार)
उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

पू०कमांक एफ 19-72/2016/1/4
प्रतिलिपि:-

भोपाल, दिनांक 17 फरवरी, 2017

1. महालेखाकार, म०प्र० ग्वालियर,
2. सचिव, म०प्र० शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, भोपाल
3. सचिव, म०प्र० राज्य निर्वाचन आयोग भोपाल,

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।


उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

परिशिष्ट-2

डाटा एन्ट्री ऑपरेटर (संविदा) जिलावार आरक्षण की स्थिति			
क्रमांक	जिला	पदों की संख्या	आरक्षण की स्थिति
1	बैतूल	01	अनूसूचित जनजाति
2	भोपाल	01	अनारक्षित
3	रायसेन	01	अनारक्षित
4	राजगढ़	01	अनारक्षित
5	सीहोर	01	अनारक्षित
6	विदिशा	01	अनारक्षित
7	भिण्ड	01	अनूसूचित जाति
8	मुरैना	01	अनूसूचित जाति
9	शयोपुर	01	अन्य पिछड़ा वर्ग
10	दतिया	01	अनूसूचित जाति
11	गुना	01	अन्य पिछड़ा वर्ग
12	अशोकनगर	01	अन्य पिछड़ा वर्ग
13	ग्वालियर	01	अनारक्षित
14	शिवपुरी	01	अनारक्षित
15	होशंगाबाद	01	अनारक्षित
16	हरदा	01	अनारक्षित
17	धार	01	अनूसूचित जनजाति
18	इन्दौर	01	अनारक्षित
19	अलीराजपुर	01	अनूसूचित जनजाति
20	झाबुआ	01	अनूसूचित जनजाति
21	खण्डवा	01	अन्य पिछड़ा वर्ग
22	बुरहानपुर	01	अनारक्षित
23	खरगोन	01	अनारक्षित
24	बड़वानी	01	अनूसूचित जनजाति
25	बालाघाट	01	अनारक्षित
26	छिन्दवाड़ा	01	अनारक्षित
27	जबलपुर	01	अनारक्षित
28	कटनी	01	अनारक्षित
29	मण्डला	01	अनूसूचित जनजाति
30	डिण्डोरी	01	अनूसूचित जनजाति
31	नरसिंहपुर	01	अनारक्षित
32	सिवनी	01	अनारक्षित
33	रीवा	01	अनारक्षित
34	सतना	01	अनारक्षित
35	शहडोल	01	अनूसूचित जनजाति
36	अनूपपुर	01	अनूसूचित जनजाति
37	उमरिया	01	अनूसूचित जनजाति
38	सिगरौली	01	अनारक्षित
39	सीधी	01	अन्य पिछड़ा वर्ग
40	छतरपुर	01	अनूसूचित जाति
41	दमोह	01	अन्य पिछड़ा वर्ग
42	पन्ना	01	अनारक्षित
43	सागर	01	अनारक्षित
44	टीकमगढ़	01	अनूसूचित जाति

Signature

क्रमांक	जिला	पदों की संख्या	आरक्षण की स्थिति
45	देवास	01	अनारक्षित
46	मन्दसौर	01	अनारक्षित
47	नीमच	01	अन्य पिछड़ा वर्ग
48	रतलाम	01	अनारक्षित
49	शाजापुर	01	अनूसूचित जाति
50	उज्जैन	01	अनूसूचित जाति
51	आगर मालवा	01	अनूसूचित जाति



अवर सचिव

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

परिशिष्ट-3

कार्यालय कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन) जिला(म.प्र.)

क्रमांक

दिनांक

स्थानीय निर्वाचन कार्यालय – डाटा एन्ट्री ऑपरेटर (संविदा) की पदपूर्ति हेतु विज्ञप्ति

पद का विवरण	आरक्षण की स्थिति	शैक्षणिक एवं अन्य अर्हता	आयु सीमा	आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि
डाटा एन्ट्री ऑपरेटर (संविदा) 01 पद, रुपये 10260 प्रतिमाह		1.राज्य शासन द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से हायर सकेण्डरी या 10+2 परीक्षा उत्तीर्ण 2.मेप आई.टी. द्वारा आयोजित कम्प्यूटर दक्षता प्रमाणीकरण CPCT परीक्षा उत्तीर्ण 3.मध्यप्रदेश का मूलनिवासी	दिनांक 01.01.2017 को न्यूनतम 21 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष। महिला, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए अधिकतम आयुसीमा 45 वर्ष	

1. डाटा एन्ट्री ऑपरेटर (संविदा) की नियुक्ति दिनांक 28.02.2018 तक के लिए की जायेगी। संविदा अवधि आवश्यकता अनुसार बढ़ाई जा सकेगी।
2. आवेदक निर्धारित प्ररूप में आवेदन पत्र अंतिम तारीख तक जिले के कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन) को स्पीडपोस्ट अथवा व्यक्तिशः भेज सकते हैं। विस्तृत जानकारी और शर्तें तथा आवेदन पत्र का प्ररूप मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग की वेबसाईट www.mplocalelection.gov.in से डाऊनलोड किया जा सकता है।
3. शैक्षणिक योग्यता, मूल निवास, आरक्षण और आयु की शर्तें पूरी करने वाले आवेदक का चयन CPCT परीक्षा में कम्प्यूटर प्रोफिशियेन्सी में प्राप्त अंकों के आधार पर मेरिट से किया जायेगा। CPCT परीक्षा में अंग्रेजी और हिन्दी टाईपिंग में क्वॉलिफाई करना आवश्यक है, यदपि टाईपिंग का स्कोर मेरिट में नहीं जोड़ा जायेगा।

कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी
(स्थानीय निर्वाचन) जिला (म.प्र.)

परिशिष्ट-4

जिला निर्वाचन कार्यालय (स्थानीय निर्वाचन) – डाटा एन्ट्री ऑपरेटर (संविदा) के पद हेतु
आवेदन पत्र

प्रति,

कलेक्टर

जिला –

आवेदक का नवीनतम
पासपोर्ट आकार का
फोटोग्राफ चिपकाये और
स्वसत्यापित करें

क्रमांक	विषय	जानकारी
1.	आवेदक का नाम (हिन्दी में)	
2.	आवेदक का नाम (अंग्रेजी में)	
3.	पिता/पति का पूरा नाम	
4.	लिंग पुरुष/महिला/अन्य	
5.	जन्मतिथि (अंकों में)	
6.	जन्मतिथि (शब्दों में)	
7.	जाति अनारक्षित/अजा/अजजा/अपिब	
8.	पत्र व्यवहार का पता	
9.	स्थायी पता	
10.	फोन नम्बर	
11.	मोबाईल नम्बर	
12.	ईमेल एड्रेस	
13.	क्या आप मध्यप्रदेश के मूल निवासी है (हाँ/नहीं)	

14. शैक्षणिक योग्यता :-

क्रमांक	परीक्षा का नाम	संस्था / बोर्ड / विश्वविद्यालय का नाम	उत्तीर्ण करने का वर्ष	प्राप्तांक / प्रतिशत
1.	हाई स्कूल			
2.	हायर सेकेण्डरी / 10+2			
3.	CPCT स्कोर कार्ड (कम्प्यूटर प्रोफेशियेन्सी)			
4.	CPCT स्कोर कार्ड (अंग्रेजी टाईपिंग)			
5.	CPCT स्कोर कार्ड (हिन्दी टाईपिंग)			
6.				
7.				

घोषणा पत्र

मैं यह घोषणा करता/करती हूँ कि उपरोक्त जानकारी जो मेरे द्वारा दी गई है, वह पूर्णतः सत्य है। जानकारी असत्य पाये जाने की दशा में मेरा आवेदन पत्र निरस्त किया जा सकेगा तथा मेरे विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जा सकेगी। मैं यह भी घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे अंतिम जीवित बच्चे का जन्म (यदि दो से अधिक बच्चे जीवित हो तो) 26.01.2001 के पश्चात् नहीं हुआ है।

दिनांक

स्थान

आवेदक के हस्ताक्षर :

पूरा नाम :

संलग्न दस्तावेजों का विवरण

क्रमांक	विषय	संलग्न (हाँ/नहीं)
1.	हाई स्कूल की अंकसूची (जन्मतिथि के प्रमाणीकरण हेतु)	
2.	हायर सेकेण्डरी / 10+2 की अंकसूची	
3.	CPCT स्कोर कार्ड	
4.	मध्यप्रदेश के मूल निवासी होने का प्रमाणपत्र	
5.	मध्यप्रदेश के सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाणपत्र	
6.		
7.		
8.		

*नोट - दस्तावेजों की स्वसत्यापित प्रतियाँ संलग्न की जायें।

आवेदक के हस्ताक्षर

परिशिष्ट - 5
मेरिट सूची का प्ररूप (अंतरिम / अंतिम)

क्रमांक	अभ्यर्थी का नाम	जन्मतिथि	जाति	मूल निवासी (जिला)	शैक्षणिक योग्यता	CPCT स्कोर कार्ड				आयु / जाति / मूल निवासी / शैक्षणिक योग्यता / CPCT स्कोर कार्ड के आधार पर पात्रता (पात्र / अपात्र)	यदि आवेदक अपात्र है तो अपात्रता का कारण
						वैधता तिथि (स्कोर कार्ड में अंकित तिथि से 02 वर्ष पश्चात की तिथि)	अंग्रेजी टाईपिंग क्वॉलिफाईंग (हाँ / नहीं)	हिन्दी टाईपिंग क्वॉलिफाईंग (हाँ / नहीं)	कम्प्यूटर प्रोफिशियन्सी में प्राप्त अंक		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.

नोट :- मेरिट सूची कॉलम क्रमांक-10 में उल्लेखित अंकों के आधार पर तैयार की जाये।

हस्ताक्षर
चयन समिति सदस्य

हस्ताक्षर
चयन समिति सदस्य

हस्ताक्षर
चयन समिति सदस्य

परिशिष्ट-6
नियुक्ति आदेश का प्ररूप

कार्यालय कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी
(स्थानीय निर्वाचन) जिला- (म.प्र.)

// आदेश //

क्रमांक

दिनांक

1. मध्य प्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक एफ 19-72/2016/1/4, दिनांक 17/02/2017 द्वारा सृजित डाटा एन्ट्री आपरेटर (संविदा) के पद पर कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से 28/02/2018 तक की अवधि के लिए अस्थायी तौर श्री/श्रीमती/कु. जिला को उप जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन) जिला में एक मुश्त मासिक संविदा पारिश्रमिक रूपये 10,260/- (शब्दों में दस हजार दो सौ साठ मात्र) पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन नियुक्त किया जाता है।
2. नियुक्त संविदा कर्मचारी को एकमुश्त संविदा पारिश्रमिक के अतिरिक्त अन्य कोई भी भत्ता (गृहभाडा, चिकित्सा आदि) की पात्रता नहीं होगी, लेकिन शासकीय कार्य से यात्रा करने पर नियमानुसार यात्रा भत्ता देय होगा।
3. नियुक्त संविदा कर्मचारी को कार्यभार ग्रहण करते समय निर्धारित प्ररूप में 50 रूपये के नॉनज्यूडिशियल स्टॉप पर अनुबंध पत्र का निष्पादन करना होगा। संविदा कर्मचारी अनुबंध पत्र की शर्तों का परिपालन करने के लिए बाध्य होगा। अनुबंध पत्र की शर्तों का उल्लंघन करने की स्थिति में संविदा नियुक्त किसी भी समय समाप्त की जा सकेगी।
4. नियुक्ति के पश्चात् जिले के मुख्य स्वास्थ्य एवं चिकित्सा अधिकारी (सी.एम.एच.ओ.) का (फिटनेस) चिकित्सा प्रमाण-पत्र, कार्य पर उपस्थित होने के अधिकतम 07 दिन की अवधि में अनिवार्यतः प्रस्तुत करना होगा।
5. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा नियुक्त संविदा कर्मचारी की सेवाएं निर्धारित संविदा अवधि के पूर्व कभी भी एक माह के नोटिस पर बिना कारण बताये समाप्त की जा सकेगी। नियुक्त संविदा कर्मचारी भी एक माह का पूर्व नोटिस देकर अथवा एक माह का पारिश्रमिक नगद जमा कर संविदा सेवा से त्यागपत्र दे सकता है।
6. नियुक्त संविदा कर्मचारी मध्यप्रदेश में कर्मचारियों पर लागू आचरण नियमों के पालन हेतु बाध्य होगा। नियुक्त संविदा कर्मचारी बिना सक्षम अधिकारी पूर्वानुमति/निर्देश के कार्यालय से संबंधित कोई सूचना/जानकारी किसी अन्य व्यक्ति/संस्था/विभाग या किसी भी माध्यम से नहीं देगा तथा कार्यालयीन गोपनीयता भंग नहीं करेंगे। कार्यालय में संविदा सेवा अवधि के दौरान अन्य किसी भी प्रकार के संस्थानों/कार्यालयों में कार्य करने अथवा व्यक्तिगत तौर पर किसी भी प्रकार के व्यापार/व्यवसाय करने पर प्रतिबंध लागू रहेगा। नियुक्त संविदा कर्मचारी को कदाचार या किसी अपराधिक क्रियाकलाप में संलग्न होने पर नियुक्ति प्राधिकारी ऐसी संविदा नियुक्ति समाप्त कर सकेंगे।

7. नियुक्त संविदा कर्मचारी का चरित्र सत्यापन शासकीय सेवकों को लागू नियमों या अनुदेशों के आधार पर किया जावेगा। चरित्र के संबंध में किसी भी प्रतिकूल निष्कर्ष की दशा में नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा संविदा नियुक्ति, बिना कोई कारण बताये तत्काल रद्द कर दी जावेगी।
8. नियुक्त संविदा कर्मचारी की सेवा अवधि आवश्यकतानुसार विहित शर्तों के अधीन कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा बढ़ाई जा सकेगी।
9. नियुक्त संविदा कर्मचारी को नियमितकरण की पात्रता नहीं होगी और वह भविष्य में नियमितकरण सम्बंधी कोई दावा नहीं कर सकेगा।
10. नियुक्त संविदा कर्मचारी को नियमानुसार 01 केलेण्डर वर्ष में 13 दिन के आकस्मिक अवकाश एवं 03 दिन के ऐच्छिक अवकाश की पात्रता होगी।
11. नियुक्त संविदा कर्मचारी को नियुक्ति आदेश जारी होने की तिथि से 10 दिवस के भीतर कार्यभार ग्रहण करना आवश्यक होगा, अन्यथा नियुक्ति आदेश स्वतः निरस्त हो जायेगा और प्रतीक्षा सूची के आवेदक को नियुक्ति दे दी जायेगी।

()
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी
जिला -

पृष्ठा क्रमांक

दिनांक

प्रतिलिपि :-

1. सचिव, म.प्र. राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल की ओर सूचनार्थ संप्रेषित।
 2. आयुक्त,, संभागकी ओर सूचनार्थ संप्रेषित।
 3. उप जिला निर्वाचन अधिकारी, (स्थानीय निर्वाचन)..... की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
 4. जिला कोषालय अधिकारी, जिला की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
 5. अधीक्षक, कलेक्टोरेट की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।
 6. संबंधित श्री
- की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ अग्रेषित।

()
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी
जिला -

जिला निर्वाचन कार्यालय (स्थानीय निर्वाचन) डाटा एन्ट्री ऑपरेटर (संविदा) के पद पर
नियुक्ति के सम्बंध में
अनुबंध पत्र

मैं (नाम) पिता/पति कार्यालय डाटा एन्ट्री आपरेटर (संविदा) के पद हेतु आज दिनांक को कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन कार्यालय (स्थानीय निर्वाचन) के पक्ष में निम्नानुसार शर्तों पर सहमति के लिए करारनामा करता/करती हूँ। प्रस्तुत करारनामा दिनांक से दिनांक 28/02/2018 तक की अवधि के लिये अथवा कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा संविदा अवधि आगे बढ़ाई जाने तक लागू रहेगा।

1. नियुक्त संविदा कर्मचारी को मासिक संविदा पारिश्रमिक रूपये 10,260/- (शब्दों में दस हजार दो सौ साठ मात्र) प्रतिमाह एक मुश्त वेतन दिया जायेगा। इसके अतिरिक्त अन्य कोई भत्ता (मंहगाई, गृहभाड़ा, चिकित्सा आदि) देय नहीं होगा।
2. नियुक्त संविदा कर्मचारी को शासकीय यात्रा करने पर नियमानुसार यात्रा भत्ता की पात्रता होगी।
3. नियुक्ति के पश्चात् जिले के मुख्य स्वास्थ्य एवं चिकित्सा अधिकारी (सी.एम.एच.ओ.) का (फिटनेस) चिकित्सा प्रमाण-पत्र, कार्य पर उपस्थित होने के अधिकतम 07 दिन की अवधि में अनिवार्यतः प्रस्तुत करना होगा।
4. नियुक्त संविदा कर्मचारी का चरित्र सत्यापन शासकीय सेवकों को लागू नियमों या अनुदेशों के आधार पर किया जावेगा। चरित्र के संबंध में किसी भी प्रतिकूल निष्कर्ष की दशा में नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा संविदा नियुक्ति, बिना कोई कारण बताये तत्काल रद्द कर दी जावेगी।
5. नियुक्त संविदा कर्मचारी को नियुक्ति आदेश जारी होने की तिथि से 10 दिवस के भीतर कार्यभार ग्रहण करना आवश्यक होगा, अन्यथा नियुक्ति आदेश स्वतः निरस्त हो जायेगा और प्रतीक्षा सूची के आवेदक को नियुक्ति दे दी जायेगी।
6. चयनित उम्मीदवार उसकी पदस्थापना के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से संविदा में माना जायेगा।
7. संविदा के अंतर्गत नियुक्ति केवल विशिष्ट स्थान के लिए होगी। संविदा में नियुक्त व्यक्ति का संविदा की अवधि में अन्यत्र स्थानांतरण की पात्रता नहीं होगी।
8. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा नियुक्त संविदा कर्मचारी की सेवाएं निर्धारित संविदा अवधि के पूर्व कभी भी एक माह के नोटिस पर बिना कारण बताये समाप्त की जा सकेगी। नियुक्त संविदा कर्मचारी भी एक माह का पूर्व नोटिस देकर अथवा एक माह का पारिश्रमिक नगद जमा कर संविदा सेवा से त्यागपत्र दे सकता है।
9. नियुक्त संविदा कर्मचारी मध्यप्रदेश में कर्मचारियों पर लागू आचरण नियमों के पालन हेतु बाध्य होगा।
10. नियुक्त संविदा कर्मचारी बिना सक्षम अधिकारी पूर्वानुमति/निर्देश के कार्यालय से संबंधित कोई सूचना/जानकारी किसी अन्य व्यक्ति/संस्था/विभाग या किसी भी माध्यम से नहीं देगा तथा कार्यालयीन गोपनीयता भंग नहीं करेंगे।

11. कार्यालय में संविदा सेवा अवधि के दौरान अन्य किसी भी प्रकार के संस्थानों/कार्यालयों में कार्य करने अथवा व्यक्तिगत तौर पर किसी भी प्रकार के व्यापार/व्यवसाय करने पर प्रतिबंध लागू रहेगा।
12. नियुक्त संविदा कर्मचारी को कदाचार या किसी अपराधिक क्रियाकलाप में संलग्न होने पर नियुक्ति प्राधिकारी ऐसी संविदा नियुक्ति समाप्त कर सकेंगे।
13. नियुक्त संविदा कर्मचारी का जॉब चार्ट जिला निर्वाचन कार्यालय (स्थानीय निर्वाचन) द्वारा निर्धारित किया जाएगा। संविदा पर नियुक्त कर्मचारी को समय-समय पर सौंपे गये अन्य समस्त कार्यालयीन कार्य भी संपादित करने होंगे।
14. संविदा नियुक्ति के आधार पर नियुक्त कोई भी उम्मीदवार संविदा कालावधि के लिए किन्हीं पेंशन संबंधी सुविधाओं का हकदार नहीं होगा तथा न ही उसे ऐसी कालावधि के लिए कोई बोनस आदि की पात्रता होगी।
15. नियुक्त संविदा कर्मचारी को चुनाव की स्थिति में कार्य समाप्त होने की अवधि तक सौंपा गया कार्य करना होगा। अधिक कार्य घण्टों के लिए ओवरटाईम देय नहीं होगा।
16. नियुक्त संविदा कर्मचारी को नियमानुसार एक वर्ष में 13 दिन के आकस्मिक अवकाश एवं 03 दिन के ऐच्छिक अवकाश की पात्रता होगी।
17. बिना अवकाश स्वीकृति के अवकाश पर रहने/अनुपस्थित रहने पर अनुपस्थिति की अवधि का संविदा मानदेय देय नहीं होगा।
18. यदि नियुक्त संविदा कर्मचारी किसी विशिष्ट कारण और बिना किसी सूचना के अपने कर्तव्य से अनाधिकृत अनुपस्थित रहता है, तो बिना कारण बताएँ नियुक्ति रद्द कर दी जायेगी।
19. नियुक्त संविदा कर्मचारी को नियमितीकरण की पात्रता नहीं होगी ओर वह भविष्य में नियमितीकरण संबंधी कोई दावा नहीं कर सकेगा।
20. नियुक्त संविदा कर्मचारी की सेवा अवधि आवश्यकतानुसार विहित शर्तों के अधीन कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा बढ़ाई जा सकेगी।
21. किसी भी विवाद की स्थिति में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी का निर्णय अंतिम होगा।

आवेदक के हस्ताक्षर :

...

पूरा नाम :

...

परिशिष्ट-4

जिला निर्वाचन कार्यालय (स्थानीय निर्वाचन) – डाटा एन्ट्री ऑपरेटर (संविदा) के पद हेतु
आवेदन पत्र

प्रति,

कलेक्टर
जिला –

आवेदक का नवीनतम
पासपोर्ट आकार का
फोटोग्राफ चिपकाये और
स्वसत्यापित करें

क्रमांक	विषय	जानकारी
1.	आवेदक का नाम (हिन्दी में)	
2.	आवेदक का नाम (अंग्रेजी में)	
3.	पिता/पति का पूरा नाम	
4.	लिंग पुरुष/महिला/अन्य	
5.	जन्मतिथि (अंकों में)	
6.	जन्मतिथि (शब्दों में)	
7.	जाति अनारक्षित/अजा/अजजा/अपिव	
8.	पत्र व्यवहार का पता	
9.	स्थायी पता	
10.	फोन नम्बर	
11.	मोबाईल नम्बर	
12.	ईमेल एड्रेस	
13.	क्या आप मध्यप्रदेश के मूल निवासी है (हाँ/नहीं)	

14. शैक्षणिक योग्यता :-

क्रमांक	परीक्षा का नाम	संस्था / बोर्ड / विश्वविद्यालय का नाम	उत्तीर्ण करने का वर्ष	प्राप्तांक / प्रतिशत
1.	हाई स्कूल			
2.	हायर सेकेण्डरी / 10+2			
3.	CPCT स्कोर कार्ड (कम्प्यूटर प्रोफेशियेन्सी)			
4.	CPCT स्कोर कार्ड (अंग्रेजी टाईपिंग)			
5.	CPCT स्कोर कार्ड (हिन्दी टाईपिंग)			
6.				
7.				

घोषणा पत्र

मैं यह घोषणा करता/करती हूँ कि उपरोक्त जानकारी जो मेरे द्वारा दी गई है, वह पूर्णतः सत्य है। जानकारी असत्य पाये जाने की दशा में मेरा आवेदन पत्र निरस्त किया जा सकेगा तथा मेरे विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जा सकेगी। मैं यह भी घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे अंतिम जीवित बच्चे का जन्म (यदि दो से अधिक बच्चे जीवित हो तो) 26.01.2001 के पश्चात् नहीं हुआ है।

दिनांक

स्थान

आवेदक के हस्ताक्षर :

पूरा नाम :

संलग्न दस्तावेजों का विवरण

क्रमांक	विषय	संलग्न (हाँ/नहीं)
1.	हाई स्कूल की अंकसूची (जन्मतिथि के प्रमाणीकरण हेतु)	
2.	हायर सेकेण्डरी / 10+2 की अंकसूची	
3.	CPCT स्कोर कार्ड	
4.	मध्यप्रदेश के मूल निवासी होने का प्रमाणपत्र	
5.	मध्यप्रदेश के सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाणपत्र	
6.		
7.		
8.		

*नोट - दस्तावेजों की स्वसत्यापित प्रतियाँ संलग्न की जायें।

आवेदक के हस्ताक्षर